छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 6/2006</u>

1. श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी, सहा.प्राध्या.	. . . . .	आवेदिकागण
2. श्रीमती अलका शुक्ल, सहा.प्राध्या. नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)		

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	. . . . .	अनावेदक

:: आदेश ::

(5 जुलाई 2006)

श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी सहायक प्राध्यापक, श्रीमती अलका शुक्ला सहायक प्राध्यापक, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनीनगर, दुर्ग से चाही गई जानकारी समय पर न दिये जाने के कारण शिकायत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक एवं श्रीमती अलका शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत की गई है कि उनके द्वारा प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग से कतिपय जानकारी चाही थी, जो कि उन्हें निर्धारित अवधि में प्रदान नहीं की। आवेदिकागण ने प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए शिकायत पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण का संक्षेप विवरण है कि आवेदिकागण के द्वारा दिनांक 16–1–2006 को प्राचार्य 3 दिन के अंदर जानकारी मांगी गई। प्राचार्य द्वारा जानकारी न दिये जाने पर दिनांक 24–1–2006 को उनके द्वारा आयोग में प्राचार्य के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया गया तथा जानकारी दिलाये जाने की प्रार्थना की गई एवं प्राचार्य के

विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया। आयोग के द्वारा प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग को नोटिस जारी किया गया। प्राचार्य ने दिनांक 23–2–2006 को आयोग के समक्ष अधिनियम के अनुसार जानकारी दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। आवेदिकागणों ने पुनः आवेदन पत्र दिनांक 6–3–2006 के द्वारा शिकायत की कि उन्हें अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। पुनः नोटिस जारी किया गया, प्राचार्य अनुपस्थित थे। अतः 10–4–2006 को उन्हें रूपए 25,000/– अर्थदण्ड किये जाने का नोटिस जारी किया गया। दिनांक 9–5–2006 को प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि आवेदिकागण डाक से जानकारी भेजने पर लेने से मना करती हैं। प्राचार्य ने समक्ष में दोनों को जानकारी दी, किन्तु आवेदिकाओं ने उसे अपूर्ण बताया। दिनांक 23–5–2006 को प्राचार्य ने बताया कि आवेदिकागण लगातार जानकारी लेने से इंकार कर रहे हैं, उनका कहना था कि उन्हें अधूरी जानकारी नहीं चाहिए। आवेदिकागण ने आडिट रिपोर्ट की जानकारी चाहा तथा परिनियम–28 के अंतर्गत 50–55 प्रतिशत वाला पत्र की प्रति की जानकारी भी चाहा। प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग को निर्देशित किया गया गया कि वे 1 सप्ताह के अंतर्गत निःशुल्क जानकारी दें। आवेदिकागण को निर्देशित किया गया कि वे कालेज जाकर जानकारी प्राप्त करें तथा जानकारी लेने से इंकार नहीं करेंगी तथा जो भी जानकारी दी जाये उसे प्राप्त करें। यदि अधूरी होगी तो नियमानुसार प्रथम अपील करें। दिनांक 13–6–2006 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए। पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के जन सूचना अधिकारी एवं उपकुलसचिव को भी परिनियम–28 के संबंध में जानकारी लेकर बुलाया गया। दिनांक 27–6–2006 को शिकायतकर्तागण, प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय एवं श्री विक्टर एक्का, जन सूचना अधिकारी एवं उपकुलसचिव, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर उपस्थित हुए। शिकायत के संबंध में श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी, श्रीमती अलका शुक्ला, श्री सालिगराम त्रिपाठी प्राचार्य एवं श्री विक्टर एक्का का कथन लिया गया तथा दोनों पक्षों के तर्कों को भी सुना गया। प्राचार्य के द्वारा लायी गई जानकारी को लेने से शिकायतकर्ता श्रीमती अलका शुक्ला ने इंकार किया। प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग एवं पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी को उपलब्ध करा दी गई।

आयोग के समक्ष श्री विक्टर एक्का ने अपने बयान में बतलाया कि परिनियम–28 अशासकीय महाविद्यालयों के लिए प्रभावशील होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों के लिए भी शैक्षणिक पदों की योग्यताएँ निर्धारित की है। इन निर्धारित योग्यताओं के ही व्यक्ति को अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक पदों पर नियुक्त होने की पात्रता है। आवेदिका श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी एवं श्रीमती अलका शुक्ला के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएँ नहीं है। अतः चयन समिति द्वारा इनका चयन न किये

जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय ने इनकी सेवाएं समाप्त की। इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। श्री विक्टर एक्का ने महामहिम राज्यपाल महोदय जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं का आदेश दिनांक 11 मई 2006 प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार महाविद्यालय द्वारा आवेदिका अलका शुक्ला की सेवाएं समाप्त करने के आदेश सही माना गया तथा उनका अभ्यावेदन निरस्त किया गया। इसी प्रकार श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी का भी अभ्यावेदन आदेश दिनांक 16–6–2006 द्वारा निरस्त किया गया। सूचना आयोग को इस संबंध में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि आवेदिकागण की सेवाएं विधिवत् समाप्त की गई है अथवा नहीं इस बिन्दु पर विचार कर कोई निर्णय दें। इस आयोग को केवल सूचना प्रदान कराने का ही अधिकार है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका श्रीमती अलका शुक्ला के द्वारा आयोग के समक्ष भी प्राचार्य के द्वारा दी जाने वाली जानकारी लेने से इंकार किया। जबकि आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये थे कि आवेदिका जानकारी लेने से इंकार नहीं करेंगी। प्राचार्य के द्वारा बतलाया गया कि जो जानकारी उनके पास उपलब्ध है, वह जानकारी आवेदिकागण को दी जा चुकी है। आवेदिका ने वार्षिक परीक्षा 2003 में बढ़े हुये पारिश्रमिक की बकाया राशि के एवं अन्य कुछ बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध नहीं होना बताया, इस संबंध में पुनः रिकार्ड देखकर जानकारी दी जाने के निर्देश दिये जाते हैं। आवेदिका को आडिट रिपोर्ट की प्रति तथा अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई, जो कि उन्होंने लेने से इंकार किया। श्रीमती ज्ञानेश्वरी सोनी के द्वारा जानकारी ली गई तथा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि अनुचित कार्यवाही के माध्यम से उन्हें सेवा से पृथक किया गया है। पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि सेवा से पृथक कराने संबंधी जांच का अधिकार इस आयोग को नहीं है। जो दस्तावेज सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है उन्हें ही आयोग आवेदिका को उपलब्ध करा सकता है। प्राचार्य के द्वारा बतलाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी संबंधी विषय महाविद्यालय के शासी निकाय के समक्ष रखा गया था तथा शासी निकाय के निर्देश के अनुसार ही उनके द्वारा कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा जानबूझकर आवेदिकाओं के द्वारा चाही गई जानकारी विलम्ब से नहीं दी गई है। शासी निकाय ने भी विधि सलाहकार एवं आडिटर के द्वारा सलाह देने के पश्चात् ही जानकारी देने के निर्देश दिये थे। इस संबंध में शासी निकाय का कार्यवाही विवरण की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

चूंकि आवेदिकागण का मुख्य बिन्दु अवैधानिक तरीके से उन्हें पद से मुक्त किये जाने का रहा है। इसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज आवेदिकाओं को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा सूचना अधिकारी, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा भी उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं। आयोग के निर्देश के बावजूद आवेदिका श्रीमती अलका शुक्ला ने उपलब्ध कराये गये दस्ताावेज लेने से इंकार किया। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत तर्कों एवं आयोग के समक्ष

सुनवाई के दौरान उभय पक्ष के मध्य वाद–विवाद की उग्रता से भी प्रतीत होता है कि सूचना लेने व देने दोनों में इसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा यदि दोनों के मध्य सद्भावना रहती तो सूचना अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकती थी।

प्राचार्य, नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, दुर्ग पर दुर्भावनापूर्वक या जानबूझकर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप सिद्ध नहीं होता है। अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः शास्ति हेतु जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। दोनों पक्षों को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आवेदिका कोई और जानकारी चाहती हैं तो वे प्राचार्य के साथ बैठकर बिना किसी द्वेष के और सद्भावनापूर्वक अनुशासन में रहकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदिकागण यदि अभिलेख का निरीक्षण करना चाहती हैं तो उन्हें निःशुल्क निरीक्षण कराकर, यदि अभिलेख उपलब्ध हो तो निःशुल्क प्रतियाँ प्रदान की जावे। आवेदिकागण को जो जानकारी दी जावे, वह वे प्राप्त करें तथा इंकार न करें।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त